हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद की वर्ष, 2013 की प्रथम नियमित बैठक की कार्यवाही जो दिनांक 27 अप्रैल, 2013 को दोपहर 12–00 बजे आचार्य ए0डी0एन0 वाजपेयी, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई । बैठक में निम्नलिखित सम्माननीय सदस्य उपस्थित हुए :–

1– डॉ0 दिनकर बुराठोकी
2– प्रो0 कैलाश चन्द ठाकुर
3– प्रो0 डी0सी0 गौतम
4– डॉ0 एस0सी0 शर्मा
5– डॉ0(श्रीमती) उमा वर्मा
6– प्रो0 सुरेश कुमार
7– श्री चन्द्र शेखर
8– श्री देवी राम वर्मा
9– श्री बम्बर ठाकुर
10– श्री हरीश जनारथा
11– डॉ0 के0पी0 ठाकुर
12– श्री सुमित खिम्टा –कुलसचिव
सदस्य–सचिव

मद संख्याः1 : कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वर्ष 2013 की प्रथम नियमित बैठक में मैं आप सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत् एवं अभिनन्दन् करता हूं।

इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां और कार्यशालाऐं आयोजित की गईं:-

1. दिनांक 09.04.2013को माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के नव नियुक्त मुख्यन्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अजय माणिक राव खानविल्कर से शिष्टाचार स्वरूप भेंट की। इस भेंट के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने विधि तथा कानून की ओर युवाओं के घटते रूझान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने न्यायिक प्रणाली में योग्य व कर्मठ न्यायाधीशों तथा इससे सम्बन्धित सर्वोच्च उपलब्ध काब्लियत को शामिल करने की आवश्यकता जताई। मुख्य न्यायाधीश ने कुलपति को विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में छात्रों को कानून की शिक्षा के लिए प्रेरित करने को विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस शिष्टाचार स्वरूप भेंट के दौरान न्यायालयों में

ज्यूडिशियल एग्जीक्यूटिव रखने के लिए भी विश्वविद्यालय तथा इससे सम्बन्धित संस्थाानों में कानून व विधि की शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को प्रेरित किया जा सकता है।

2. दिनांक 10.04.2013 को विधि संकाय के प्राध्यापकों के साथ विधि विभाग में नये कोर्स शुरू करने के बारे में विस्तृत बैठक आयोजित की जिसमे स्नात्कोत्तर डिप्लोमा मध्यस्थता व न्यायालय प्रबन्धन में करवाने पर विचार किया गया।
3. दिनांक 13.04.2013 को सांध्यकालीन माहाविद्यालय में स्वामी विवेकानन्द व्याख्यान माला में उनकी 150वीं जयन्ती पर 'आत्मनोमोक्षार्थ-जगत्हिताय च' विषय पर विशेष व्याख्यान दिया।
4. दिनांक 14.04.2013 को अम्बेडकर पीठ ने भारत रत्न डा. भीम राव अम्बेडकर की 122वीं जन्म शताब्दी समारोहों के उपलक्ष एक संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमे विशेष व्याख्यान दिया।
5. दिनांक 17.04.2013 को राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित वर्ष 2013 की सलाहकार समिति बैठक आयोजित की गई जिसमें वर्षभर के कार्यक्रमों का लेखा-जोखा स्वीकृत किया गया।
6. दिनांक 23.04.2013 को यू.जी.सी. अकादमिक स्टाफ कॉलेज में ''नैतिकता-व्यापार एवं प्रबन्धन'' विषय पर विशेष व्याख्यान दिया।
7. दिनांक 24.04.2013 को विश्वविद्यालय में स्वयं वित्त पोषित नये पाठयक्रम प्रारम्भ करने के बारे में विस्तृत बैठक आयोजित की गई।
8. दिनांक 25.04.2013 को विश्वविद्यालय में रक्षा विज्ञान से सम्बन्धित नए विषय प्रारम्भ करने के बारे में रक्षा एवं प्रबन्धन विशेषज्ञ ब्रिगेडियर प्रकाश के साथ विभिन्न संकाय के सदस्यों की बैठक आयोजित की।
9. दिनांक 26.04.2013 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आंतरिक गुणवत्ता विश्वसनीयता प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की। इस बैठक में बाहरवीं पंचवर्षीय योजना के लिए तैयार किऐ गए प्रतिवेदन पद चर्चा हुई। इस अवसर पर इस प्रकोष्ठ द्वारा तैयार किए गए कैलैन्डर का भी लोकार्पण किया।
10. दिनांक 26.04.2013 को ही रक्षा विज्ञान विशेषज्ञ ब्रिगेडियर प्रकाश ने विश्वविद्यालय वाणिज्य प्रबन्धन संस्थान में एम.बी.ए. के छात्रों को प्रबन्धन के आधारभूत पहलुओं पर विशेष व्याख्यान दिया।

मैं कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों को अवगत करवाना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय द्वारा घणाहटी के पास लगभग 200 बीघा जमीन प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । इसी तरह मण्डी में विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्र खोलने के लिए लगभग 100 बीघा जमीन खरीदने का प्रयास भी चल रहा है ।

अब मैं कुलसचिव से निवेदन करूंगा कि आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद् के सम्मुख चर्चा के लिए प्रस्तुत करें।

मद संख्या :2 : कार्यकारिणी परिषद की पिछली बैठक दिनांक 31–08–2012 तथा 17–9–2012 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने पिछली बैठकों दिनांक 31–8–2012 तथा 17–9–2012 में लिए गए निर्णयों को निम्नलिखित टिप्पणी एवं संशोधन के साथ अनुमोदित कियाः–

दिनांक 17–9–2012:

(मद संख्या:9): कार्यकारिणी परिषद ने प्रोग्रामरों को संशोधित वेतनमान प्रदान करने के लिए दिनांक 17–5–2012 को मद संख्या–11 के अन्तर्गत गठित समिति की सिफारिशें को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया । परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में नियुक्त प्रोग्रामरों को प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया गया वेतनमान दिया जायेगा ।

उपरोक्त मद के पैरा–2 में दिनांक की शुद्धि करते हुए इसे 01–01–2006 से 28–3–2009 के स्थान पर 01–01–2006 से 27–3–2009 पढ़ा जाए ।

(मद संख्या–12): परिषद ने डॉ0 पुरूषोतम भारद्वाज को Consequential benefits प्रदान करने का निर्णय संशोधित किया ।

(मद संख्या:17): कार्यकारिणरी परिषद ने केन्द्रीय विज्ञान शाला में खाली पड़े ग्रुप–।। के 7 पदों में से 4 पद ग्रुप–।।। में परिवर्तित करने हेतु अनुमोदित किया ।

(मद संख्या:18): कार्यकारिणी परिषद ने भौतिक विभाग में खाली पड़े तकनीशियन सहायक ग्रुप–।। के पद को ग्रुप–।।। में परिवर्तित करने के लिए मामले को वापिस लिया ।

(मद संख्या:19): कार्यकारिणी परिषद ने निर्माण मण्डल में राजमिस्त्री के पद को बढ़ई के पद में परिवर्तित करने हेतु अनुमोदित किया ।

(मद संख्या:20): कार्यकारिणी परिषद ने कुलपति महोदय तथा डॉ0 के.पी0 ठाकुर सदस्य कार्यकारिणी परिषद को मामले में आवश्यक निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया ।

(मद संख्या:27): कार्यकारिणी परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)वर्ग–।।। एवं अधिशासी अभियन्ता के अधिसूचना संख्या:3–29/76–हि0प्र0 वि0(सा0)खण्ड–6 दिनांक 1–10–2012 व दिनांक 3–10–2012 को अधिसूचित किए गए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अपनी स्वीकृति प्रदान की :

1–कनिष्ठ अभियन्ता(सिविल)वर्ग–।।। :

i) 75 प्रतिशत पर सीधी भर्ती द्वारा तथा 25 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जैसा कि प्रदेश सरकार में प्रावधान है । परन्तु Batch-wise प्रणाली विश्वविद्यालय में लागू नहीं की गई है इसलिए Batch-wise in lh/kh HkrhZ }kjk gh Hkjs tkus vko';d gSa ।

ii) **चयन समिति**: जो पहले अधिसूचना संख्या:3–29/76–हि0प्र0वि0(सा0) खण्ड–।।। दिनांक 31–7–2002 व 1–12–2004 को अधिसूचित की गई है वही रखी जानी आवश्यक है ।

iii) **नियुक्ति प्राधिकारी**: कुलपति

iv) **Recruitment Agency:** भर्ती शाखा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय

2–अधिशासी अभियन्ता (Civil, Public Health & Design):

i) 100% by Promotion, failing which on Secondment basis

ii) **चयन समिति**: जो पहले अधिसूचना संख्या:3–29/76–हि0प्र0वि0(सा0) खण्ड–।।। दिनांक 31–7–2002 व 1–12–2004 को अधिसूचित की गई है ।

iii) **नियुक्ति प्राधिकारी**: कार्यकारिणी परिषद

(अन्य मद–IV): कार्यकारिणी परिषद ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी सिटीजन चार्टर को विश्वविद्यालय में लागू करने को कहा ।

(अन्य मद–VII): कार्यकारिणी परिषद ने विभिन्न महाविद्यालयों में वोकेशनल पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु गठित समिति में योजना एवं विकास अधिकारी के स्थान पर उप/सहायक कुलसचिव(शैक्षणिक) को संयोजक नियुक्त करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या : 3 : कार्यकारिणी परिषद की पिछली बैठक दिनांक 31–8–2012 तथा 17–9–2012 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने पिछली बैठकों दिनांक 31–8–2012 तथा 17–9–2012 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही को अनुमोदित किया ।

मद संख्याः 4 : कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–12 –सी (7) के अन्तर्गत लिए गए निर्णयों से अवगत करवाना ।

.....

कार्यकारिणी परिाद ने माननीय विशेष न्यायालय (वन), शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा श्री परमानन्द भारद्वाज, उप कुलसचिव (निलम्बित)(सेवानिवृत्त),को दोषमुक्त करार देने के उपरांत उनकी सेवा वहाली तथा निलम्बन की अवधि के सभी लाभ देने हेतु दिए गए निर्णय को माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–12–सी (7) के अन्तर्गत लागू करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्याः 5 : कार्यकारिणी परिषद के माननीय सदस्यों से यदि कोई मद प्राप्त हुई है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद के सम्माननीय सदस्यों से निर्धारित समय के भीतर कोई मद प्राप्त नहीं हुई थी ।

मद संख्या : 6: कार्यकारिणी परिषद की दिनांक 17–9–2012 को हुई बैठक में अन्य मद (VII) के अन्तर्गत लिए गए निर्णय की कृत्त कार्रवाई सम्बन्धी ।

....

कार्यकारिणी परिषद ने राष्ट्रीय व्यवसाय एवं गुणात्मक शिक्षा (NVEQF) के अन्तर्गत व्यवसायिक स्नातक उपाधि को विश्वविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में गठित समिति की **संलग्नक** सिफारिशों के अनुसार नये शैक्षणिक सत्र से शुरू/परिचालन करने हेतु अनुमोदित किया ।

मद संख्याः7: प्रदेश सरकार द्वारा जे.बी.टी., एन.टी.टी., टी.जी.टी. व पी.जी.टी. पदो ंके लिए बनाए गए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को विश्वविद्यालय में अपनाने हेतु मामला कार्यकारिणी परिषद में ले जाने बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने प्रदेश सरकार द्वारा जे.बी.टी., एन.टी.टी., टी.जी.टी. व पी. जी.टी. पदों के लिए बनाए गए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को संलग्नक के अनुरूप विश्वविद्यालय में अपनाने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या:8: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद के समक्ष सूची टंकक/अर्ध व्यवसायिक सहायक के पद को नियत संख्या से अधिक (Supernumerary) पद सृजित करने हेतु ।

....

कार्यकारिणी परिषद ने सीडब्ल्यूपी (T) संख्या4267/2008 शीर्षक श्री बिशन सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय व अन्य में न्यायालय के फैसले को अधिमान देते हुए श्री बिशन सिंह के लिए पुस्तक सूची टंकक/अर्ध व्यवसायिक सहायक की श्रेणी में दिनांक 5–5–1987 से 21–10–1990 तक नियम संख्या से अधिक (Supernumary) पद सृजन को अपनी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या:9: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद के समक्ष वरिष्ठ आशुलिपिक के पद को दिनांक 17–6–2008 से पद की उपलब्धता की तिथि तक नियत से से अधिक (Supernumerary) पद सृजित करने हेतु ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने सीडब्ल्यूपी (T) संख्या –1774/2008 में दिए गए निर्णय को अधिमान देते हुए श्री राज कुमार के लिए वरिष्ठ आशुलिक के पद पर दिनांक 17–6–2008 से पद की उपलब्धता तक नियत संख्या से अधिक पद सृजन करने को अपनी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या:10: विजय कुमार शास्त्री के प्रार्थना पत्र के अनुसार जिसमें इन्होंने शास्त्री कक्षाओं में 50 प्रतिशत अंक वृद्धि करने का आग्रह किया है मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिष ने शास्त्री तुतीय वर्ष के छात्रों को जिनके शास्त्री में 50 प्रतिशत अंक नहीं हैं परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक करने के लिए 5000/– रूपये शुल्क के साथ नये पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एक विशेष अवसर प्रदान करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या:11: हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः पीईआर (एपी)–सी–ए(3)–1/2010 दिनांक 14–9–2011 तथा पीईआर (एपी)–सी–ए(3)–1/2017 दिनांक 17–9–2012 के द्वारा लिपिक वर्ग–3 के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन किया गया जिसके अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासनिक एवं लिपिक वर्ग के लिए बनाए गए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करने हेतु मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः पीईआर (एपी)–सी–ए(3)–1/2010 दिनांक 14–9–2011 तथा पीईआर (एपी)–सी–ए(3)–1/2017 दिनांक 17–9–2012 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासनिक एवं लिपिक वर्ग के लिए बनाए गए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में **संलग्नक** के अनुसार संशोधन करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्याः12: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष सूचना अधिकार, अधिनियम, 2005 के Section 8(1)(a)](e) & (g) के अन्तर्गत सूचनाओं को सार्वजनिक करने बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के Section 8(1)(a)](e) & (g) के अन्तर्गत परिषद द्वारा मद संख्या–15 दिनांक 29–11–2008 पर पुनर्विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया कि चयन समितियों की सिफारिशों को चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात सार्वजनिक किया जा सकता है ।

मद संख्याः13: कनिष्ठ कम्प्यूटर ऑप्रेटर के पद को कम्प्यूटर ऑप्रेटर में परिवर्तित करने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष भेजने ।

....

कार्यकारिणी परिषद ने कनिष्ठ कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद को कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद में परिवर्ति करने की अनुमति प्रदान की ।

मद संख्याः14: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष सेवा–निवृत्त आचार्य धनी राम शर्मा जी द्वारा अस्थाई/तदर्थ रूप से पूल अधिकारी एवं सहायक आचार्य के पद पर की गई सेवा को सेवा–निवृत्त लाभा (अर्थात पैन्शन एवं उपदान) हेतु अर्हक सेवा गणना में लेने के लिए किए गए निवेदन को विचारार्थ रखने हेतु ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान नहीं की ।

मद संख्याः15: सेवाकाल के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर गैर–शिक्षक कर्मचारियों को पॉच वेतन बृद्धियां प्रदान करने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद की अनुमति बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने मामले को वित्त समिति को अग्रेषित किया ।

मद संख्याः16: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अध्यादेश 36.4 (d) में संशोधन करने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद की अनुमति बारे ।

....

कार्यकारिणी परिषद ने अधिष्ठाता अध्ययन को मामले के पुनःपरीक्षण हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया ।

मद संख्या:17: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा के कम्प्यूटर केन्द्र में पारिश्रमिक आधार पर रखे गए डाटा एंट्री ऑपरेटरों को दिए जा रहे पारिश्रमिक को संशोधित करने हेतु प्रस्ताव कार्यकारिणी परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा के कम्प्यूटर केन्द्र में पारिश्रमिक आधार पर रखे गए डाटा एंट्री ऑपरेटरों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित संशोधित दरें लागू करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की :

1–	Case Settlement form(RLL,RLA,CS etc.)	@Rs. 0.75 प्रति प्रविष्टी
2–	Candidates full entry form	@Rs. 0.75 प्रति प्रविष्टी
3-	ICR award scanning per sheet validation	@ Rs. 1.50 प्रति प्रविष्टी

इसके अतिरिक्त परिषद में उपाधि शाखा में उपाधियां लिखने के लिए रखे गए सुलेखकारों का पारिश्रमिक बढ़ाने हेतु कुलपति महोदय को प्राधिकृत किया ।

मद संख्या:18: बी.बी.ए.व बी.सी.ए. कक्षाओं की उपदान (Subsidised) सीटों को सत्र 2013–14 से फीस बृद्धि का प्रस्ताव कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने बी.बी.ए.व बी.सी.ए. कक्षाओं की उपदान (Subsidised) सीटों को सत्र 2013–14 से फीस बृद्धि कर बी.बी.ए. की फीस 18,000/– रूपये तथा बी.सी.ए. की फीस 23,000/– रूपये करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या:19: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वित्त समिति की सिफारिशों को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत किया जाता है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने वित्त समिति की दिनांक 14–1–2013 को हुई बैठक की सिफारिशों को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया ।

मद संख्याः20ः चार राजकीय महाविद्यालयों एवं एक निजी महाविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2010–2011 में गलत विषय सम्मिश्रण के अन्तर्गत प्रवेश पर लगाए गए जुर्माने को अदा न करने बारे कार्यकारिणी परिषद के अवलोकनार्थ व आगामी आदेशों हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने चार राजकीय महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2010–2011 में गलत विषय सम्मिश्रण के अन्तर्गत प्रवेश पर लगाए गए जुर्माने को हटाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की । परिषद के सम्माननीय सदस्यों डॉ0 दिनकर बुराठोकी, डॉ0 एस.सी. शर्मा तथा डॉ0 (श्रीमती) उमा वर्मा ने सुझाव दिया कि विषय सम्मिश्रण में यदि कोई परिवर्तन करना है तो इस बारे सत्र आरम्भ होने से पूर्व समस्त महाविद्यालयों को सूचित किया जाना चाहिए ।

मद संख्याः21ः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सी.डब्ल्यू.पी. संख्याः1027 ऑफ 2008 दिनांक 7–3–2012 तथा माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की सिफारिशानुसार करिशमा शिक्षा महाविद्यालय को निरीक्षण समिति की रिपोर्ट दिनांक 16–07–2007 के अनुसार स्थाई सम्बद्धता प्रदान करने हेतु कार्यकारिणी परिषद के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्ल्यू.पी. संख्याः1027 ऑफ 2008 दिनांक 7–3–2012 में पारित आदेश तथा माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की सिफारिशानुसार करिशमा शिक्षा महाविद्यालय को निरीक्षण समिति की रिपोर्ट दिनांक 16–07–2007 के अनुसार स्थाई सम्बद्धता प्रदान करने हेतु अनुमोदित किया ।

मद संख्याः22ः विश्वविद्यालय हित में श्री वीरेन्द्र कुमार वोहरा, सेवा निवृत्त योजना एवं विकास अधिकारी को विशेष–कार्य–अधिकारी (ओ.एस.डी.) के पद पर पुनर्नियुक्ति के प्रकरण को परिषद के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने मामले पर चर्चा के उपरान्त इसे वापिस लेने का निर्णय लिया ।

मद संख्याः23ः प्रदेश सरकार से प्राप्त पत्र संख्याः:एलएलआर–ई (9)-1/2003 दिनांक 4–3–2013 के आधार पर कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा कानूनी सलाहकारों की की गई नियुक्तियां कार्यकारिणी परिषद के अवलोकन/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं ।

.....

नोट कर अनुमोदित किया ।

मद संख्या:24: स्नातक/स्नातकोत्तर की परीक्षाओं के संचालन हेतु हिमाचल प्रदेश से बाहर बनाए जाने वाले परीक्षा केन्द्रों में पारिश्रमिक की मानदरों को पंजाब विश्वविद्यालय के बराबर करने के समिति के सुझाव को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षाओं के संचालन हेतु प्रदेश से बाहर बनाए जाने वाले परीक्षा केन्द्रों में पारिश्रमिक की मानदरों को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया ।

मद संख्या:25: आंतरिक गुणवता आश्वस्तता प्रकोष्ठ द्वारा बनाये गये **"छात्रों द्वारा अध्यापक मूल्यांकन हेतु प्रतिपुष्टि पत्र"** को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने आंतरिक गुणवता आश्वस्तता प्रकोष्ठ द्वारा बनाये गये **"छात्रों द्वारा अध्यापक मूल्यांकन हेतु प्रतिपुष्टि पत्र"** संलग्नक के अनुरूप अनुमोदित किया ।

मद संख्या:26: आंतरिक गुणवता आश्वस्तता प्रकोष्ट द्वारा बनाये गये **"छात्र अधिकार पत्र"** को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने आंतरिक गुणवता आश्वस्तता प्रकोष्ट द्वारा बनाये गये **"छात्र अधिकार पत्र"** को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया ।

मद संख्या:27: शैक्षणिक परिषद की दिनांक 5–4–2013 को हुई बैठक की कार्यवाही/सिफारिशें कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदनार्थ ।

....

कार्यकारिणी परिषद ने शैक्षणिक परिषद की दिनांक 5–4–2013 को हुई बैठक की कार्यवाही/सिफारिशों को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया ।

परिषद ने अध्यादेश 14.20 में प्रस्तावित रियायती अंक देने के मामले को न्यायसंगत नहीं माना तथा इसे सम्बन्धित निकाय को इसका परीक्षण कर दोबारा संशोधन हेतु लाने का निर्णय लिया ।

सम्माननीय सदस्य श्री चन्द्र शेखर ने B. Pharma (Ayurveda) के विद्यार्थियों का मामला परिषद के समक्ष रखा उन्होंने कहा उक्त महाविद्यालय के दूसरे सत्र के विद्यार्थी जिनका प्रथम सत्र पास नहीं था उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा रोल नम्बर जारी नहीं किए गए लेकिन द्वितीय सत्र में ये विद्यार्थी बिना रोल नम्बर के स्ट्रे केस में परीक्षा में बैठ गए इसलिए विश्वविद्यालय द्वारा इनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया ।

इस पर सम्माननीय सदस्य श्री देवी राम वर्मा ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि तीसरे सत्र में बैठने के लिए जो विद्यार्थी पात्र नहीं थे उन्हें परीक्षा में बैठने व परिणाम घोषित करने का माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया परन्तु इसमें द्वितीय सत्र के बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया । अतः कार्यकारिणी परिषद ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों के भविष्य को मध्यनजर रखते हुए द्वितीय सत्र जिसकी परीक्षा दिसम्बर, 2011 में आयोजित की गई थी का परीक्षा परिणाम कैरी ओवर (carry over) योजना के अन्तर्गत घोषित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

<u>मद संख्या:28:</u> कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती अध्ययन केन्द्र की अंग्रेजी विषय की स्नातकोत्तर की छात्रा लतिका सुपुत्री श्री अजय कुमार का तृतीय व चतुर्थ सत्र का परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु ।

....

अनुमोदित ।

<u>मद संख्या:29:</u> चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जिनकी संख्या–4 है जिनमें से दो को लिपिक के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत कर दिया गया है तथा दो अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए वांछित शैक्षणिक योग्यता व अहर्क सेवा पूरी करते हैं, को कार्यकारिणी परिषद द्वारा दिनांक 21–7–2012 को मद संख्या–3 द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में निर्धारित 10 प्रतिशत कोटे में छूट देकर तथा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले आरक्षित पदों के विरूद्ध पदोन्नत करने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष विचारार्थ हेतु ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने चतुर्थ श्रेणी के दो कर्मचारियों को जिन्हें निर्धारित 10 प्रतिशत कोटे में छूट देकर तथा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले आरक्षित पदों के विरूद्ध पदोन्नत किया गया है की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या:30: निर्माण मण्डल में पेन्टर ग्रेड–। के दो रिक्त पदों को पेन्टर ग्रेड–।। में परिवर्तित करने का मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने पेन्टर ग्रेड–। के दो रिक्त पदों को पेन्टर ग्रेड–।। में पदावनति करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या:31: लोक प्रशासन विभाग द्वारा मानव संसाधन विकास पाठ्यक्रम सत्र 2013–14 से शुरू करने बारे एवं एपरोक्त पाठ्यक्रम के लिए सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में संशोधन कारे बारे मामला कार्यकारिणी परिषद की अनुमति हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने लोक प्रशासन विभाग द्वारा मानव संसाधन विकास पाठ्यक्रम सत्र 2013–14 से शुरू करने बारे एवं पाठ्यक्रम के लिए सम्बन्धित अध्यादेशों को **संलग्नक** के अनुरूप संशोधित करने हेतु अनुमोदित किया ।

मद संख्या:32: स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं में स्थल मूल्यांकन केन्द्रों में पारिश्रमिक की दरें बढ़ाने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद के अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं में स्थल मूल्यांकन केन्द्रों में इस सत्र से निम्नलिखित पारिश्रमिक दरें लागू करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की :

क्रमांक	पदनाम	वर्तमान दरें	प्रस्तावित दरें
1–	नियन्त्रक (मूल्यांकन केन्द्र)	550/–	750/–
2–	उप–नियन्त्रक (मूल्यांकन केन्द्र)	550/–	750/–
3–	लिपिक (मूल्यांकन केन्द्र)	330/–	400/–
4–	सेवादार चौकीदार (मूल्यांकन केन्द्र)	160/–	200/–
5–	सफाई कर्मचारी (मूल्यांकन केन्द्र)	120/–	150/–

इसके अतिरिक्त परिषद ने स्थल मूल्यांकन केन्द्रों में जलपान हेतु 20/– रूपये करने हेतु अनुमोदित किया ।

मद संख्या:33: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष डॉ0 एल.आर. वर्मा पूर्व कुलपति एवं सेवानिवृत्त आचार्य, जीव विज्ञान विभाग द्वारा स्बैटिकल अवकाश अवधि को असाधारण अवकाश में परिवर्तित करने के एवज में अतिरिक्त अदायगी पर देय व्याज की माफी के लिए किए गए निवेदन पर विचारार्थ प्रस्तुत करने बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने डॉ0 एल.आर. वर्मा पूर्व कुलपति एवं सेवानिवृत्त आचार्य, जीव विज्ञान विभाग द्वारा स्बैटिकल अवकाश अवधि को असाधारण अवकाश में परिवर्तित करने के एवज में अतिरिक्त अदायगी पर दिनांक 31–3–2013 तक विश्वविद्यालय के पक्ष में देय मूल राशि रू0 16,149 पर डॉ0 वर्मा द्वारा देय व्याज रू0 34,517/– को माफ करने का निर्णय लिया ।

अन्य मदें :

सम्माननीय सदस्य श्री बम्बर ठाकुर ने अध्यक्ष महोदय से पूछा कि आचार्य जे.बी. नड्डा, विश्वविद्यालय से बाहर कैसे गए हैं । इस पर अध्यक्ष महोदय ने जानकारी दी कि आचार्य जे.बी. नड्डा, तत्कालीन प्रदेश सरकार द्वारा विनियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है तथा यहां से वे असाधारण अवकाश (E.O.L.)(without pay) पर गए हैं । सम्माननीय सदस्य श्री चन्द्र शेखर ने कहा कि उन्हें तुरन्त विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कहा जाए । जिस पर अन्य सदस्यों ने कहा कि डॉ0 नड्डा जनहित में गए हैं तथा कार्यकारिणी परिषद ने उनको असाधारण अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की है । सम्माननीय सदस्य श्री देवी राम वर्मा ने कहा कि डॉ0 नड्डा की नियुक्ति प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी तथा इस विषय पर प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिए । परिषद ने इस पर यह निर्णय लिया कि आचार्य जे.बी. नड्डा तथा आचार्य शशि धिमान के अवकाश को रद्द करते हुए उन्हें विश्वविद्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए 10 दिन का समय दिया जाये ।

सम्माननीय सदस्य श्री हरीश जनारथा ने कहा कि कार्यकारिणी परिषद पिछली बैठकों में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए एक बार छूट देने का निर्णय लिया था अतः इसी आधार पर श्री धर्मपाल सिंह को कम्प्यूटर साइंस में पी.एच.डी. उपाधि में प्रवेश परीक्षा से एक बार छूट दी जाए । जिस पर कार्यकारिणी परिषद ने विशेष प्रकरण के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

सम्माानीय सदस्य सर्वश्री बम्बर ठाकुर, हरीश जनारथा तथा चन्द्र शेखर ने प्रधान सचिव (वित्त) तथा सचिव (शिक्षा) के कार्यकारिणी परिषद की बैठकों में अनुपस्थिति पर असंतोष जताया और कहा कि प्रधान सचिव (वित्त) तथा सचिव (शिक्षा) से परिषद की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए पुनः आग्रह किया जाये ।

सम्माननीय सदस्यों सर्वश्री बम्बर ठाकुर, हरीश जनारथा तथा चन्द्र शेखर ने कहा विश्वविद्यालय में बी.एड. के प्रोसपैक्टस का मूल्य बढ़ाने के बारे समाचार–पत्रों में प्रतिदिन बड़ी–बड़ी खबरें छप रही हैं लेकिन विश्वविद्यालय के जन सम्पर्क अधिकारी ने इस पर कोई विरोधात्मक टिप्पणी नहीं की है । इसके अतिरिक्त समाचार–पत्रों में विश्वविद्यालय के बारे में कई विरोधात्मक समाचार छपते रहते हैं लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से कोई विरोधात्मक टिप्पणी नहीं की जाती है अतः कार्यकारिणी परिषद ने कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि भविष्य में जन सम्पर्क अधिकारी समाचार–पत्रों में छपने वाली खबरों का तर्कसंगत खण्डन कर विश्वविद्यालय का पक्ष प्रभावी ढंग से
रखें ।

सम्माननीय सदस्य श्री हरीश जनारथा ने कहा कि विश्वविद्यालय में सुरक्षा अधिकारी का पद काफी समय से रिक्त पड़ा है जिसे पदोन्नति के द्वारा भरा जाए । इस पद कार्यकारिणी परषिद ने समिति गठित कर उसकी अनुशंसाओं को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष निर्णय रखी जाए ।

सम्माननीय सदस्य श्री बम्बर ठाकुर ने जिला बिलासपुर में बी.जे.एम.सी महाविद्यालय खोलने का ममाला परिषद के समक्ष रखा । जिस पर कुलपति महोदय ने कहा कि यदि इस पर प्रदेश सरकार से अनापत्ति प्रमाण–पत्र मिल जाता है तो विश्वविद्यालय को इसे शुरू करने में कोई आपत्ति नहीं है ।

सम्माननीय सदस्य आचार्य सुरेश कुमार ने कार्यकारिणी परिषद की अन्य मद दिनांक 17–5–2012 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के सह–आचार्य पद के लिए शोध–मार्गदर्शन की शर्त हटाने के लिए उनकी अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों पर चर्चा की । समिति की सिफारिशों पर विचार–विमर्श के उपरान्त कार्यकारिणी परिषद ने इसे **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया ।

सम्माननीय सदस्य श्री चन्द्र शेखर ने कार्यकारिणी परिषद को अवगत करवाया कि मण्डी सदर में विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केन्द्र खोलने हेतु लगभग 100 बीघा जमीन उपलब्ध है जिसके लिए एक समिति जिसमें एक मुख्यमन्त्री कार्यालय का प्रतिनिधि, कुलपति महोदय, कुलसचिव महोदय, उपायुक्त एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी शामिल हो, उपलब्ध भूमि का निरीक्षण करेगी । तथा इस वर्ष से क्षेत्रीय केन्द्र में चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों की कक्षाएं आई. आई.टी. द्वारा राजकीय महाविद्यालय, मण्डी में खाली किए गए भवन में शुरू कर दी जाएं ।

सम्माननीय सदस्य श्री चन्द्र शेंखर ने यह भी कहा कि जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रत्येक औपचारिक/शासकीय कार्यक्रमों का शुभारम्भ विश्वविद्यालय **कुलगीत** से होता है उसी प्रकार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों के प्रत्येक औपचारिक/शासकीय कार्यक्रम का शुभारम्भ भी विश्वविद्यालय के **कुलगीत** से होना चाहिए । जिसका कार्यकारिणी परिषद के सभी सदस्यों ने समर्थन किया तथा विश्वविद्यालय से उपेक्षा की कि विश्वविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालयों के समस्त प्राचार्यों को **कुलगीत** की सी.डी. उपलब्ध करवाये ।

माननीय कुलपति महोदय ने श्री हरीश जनारथा सम्माननीय सदस्य कार्यकारिणी परिषद से विद्यार्थियों द्वारा उनकी गाड़ी को क्षति पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से क्षमा याचना की तथा गाड़ी को हुए नुक्सान की भरपाई विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने का प्रस्ताव रखा । इस पर श्री बम्बर ठाकुर, श्री चन्द्र शेखर व परिषद के अन्य सदस्यों ने इसे गम्भीरता से लेते हुए इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की । परिषद ने आगे यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाता अध्ययन तथा अधिष्ठाता छात्र कल्याण छात्रों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से बैठक कर विश्वविद्यालय में चल रहे आन्दोलनों और हिंसात्मक गतिविधियों पर चर्चा करें और उन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से अवगत करवाएं । परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि यदि फिर छात्र संगठन अपनी इन गतिविधियों से वाज नहीं आते तो प्रशासन को भविष्य में छात्र संघ चुनावों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए मजवूर होना पड़ेगा तथा माननीय उच्च न्यायालय में न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने का मामला दायर करना पड़ेगा ।

बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई ।

(सुमित खिम्टा)
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

हस्ता0 / –

(आचार्य ए.डी.एन. बाजपेयी)
सभापति / कुलपति